विद्युत मंत्री (श्री आर० कुमारमंगलम): (क) सभी पंचवर्षीय योजनाओं में लगातार यह प्रयास रहा है कि विद्युत उत्पादन को बढ़ाया जाए ताकि देश में विद्युत की मांग की पूर्ति की जा सके।

(ख) और (ग) आठवीं योजना के दौरान त्रिपुरा, मणिपुर और मध्य-प्रदेश राज्यों के संबंध में विद्युत क्षेत्र के लिए वर्ष-वार अनुमोदित परिव्यय निम्नवत् है:—

(करोड़ रुपये में)

	मणिपुर	त्रिपुरा	मध्य प्रदेश
आठवीं योजना			
1992-97	185.35	116.50	3563.36
1992-93	36.75	34.23	728.34
1993-94	39.80	41.50	718.34
1994-95	43.42	35.50	817.16
1995-96	44.50	48.00	800.63
1996-97	42.18	33.16	702.69
1997-98	43.00	28.66	638.32

(घ) और (ङ) नौवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

विद्युत परियोजनाओं में विदेशी भागीदारी

3931. **श्री रामगोपाल यादव**: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विद्युत परियोजनाओं में शत-प्रतिशत विदेशी भागीदारी को अनुमोदित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो रुपयों में इन परियोजनाओं की अधिकतम लागत क्या होगी तथा इन परियोजनाओं का कार्य-क्षेत्र क्या होगा;

(ग) क्या इन परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत के उत्पादन तथा आपूर्ति करने के मामले में सरकार का कोई अधिकार होगा; और

(घ) उपभोक्ताओं तथा लघु उद्योगों को दी जाने वाली विद्युत की दर का निर्धारण कौन करेगा?

विद्युत मंत्री (श्री आर० कुमारमंगलम): (क) विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 1991 में घोषित नीति के अनुसार विद्युत परियोजनाओं के लिए 100% विदेशी इक्विटी की अनुमति प्रदान की गई है।

(ख) विद्युत परियोजना की लागत विभिन्न घटकों जैसे विद्युत संयंत्र का प्रकार, उपयोग किए जा रहे ईंधन का प्रकार व स्रोत तथा प्रयुक्त प्रौद्योगिकी आदि पर निर्भर करती है। इन परियोजनाओं के कार्यकलापों का क्षेत्र विद्युत उत्पादन पारेषण और वितरण क्षेत्रों से संबंधित हो सकता है।

(ग) निजी विद्युत उत्पादन कम्पनियों द्वारा स्थापित विद्युत परियोजनाओं के विद्युत उत्पादन और विद्युत आपूर्ति से संबंधित शर्तें एवं निबन्धन विद्युत उत्पादक और विद्युत यूटीलिटी के बीच निष्पन्न विद्युत क्रय समझौते भारत सरकार की दिनांक 30.3.1992 की टैरिफ अधिसूचना (यथा संशोधित), और विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम 1948 के प्रावधानों द्वारा शासित होगी।

(घ) इस प्रकार के निजी विद्युत उत्पादन कम्पनियों द्वारा उत्पादित विद्युत की आपूर्ति सामान्यतः ग्रिड को की जाती है और न कि प्रत्यक्ष रूप में विभिन्न उपभोक्ताओं को की जाती है। विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम 1948 के प्रावधानों के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं को की जाने वाली विद्युत आपूर्ति की दर राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा निर्धारित की जाती है। विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम (1948 का 14) के अनुसार यह दर राज्य विद्युत विनियामक आयोगों, जहां इनकी स्थापना हो गई हो, द्वारा निर्धारित की जायेगी।

Assessment of Hydro-Power Potential of North East Region

3932. DR. B.B. DUTTA: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether Government has made any assessment of the Hydro Power Potential of North-East Region;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the plans/programmes chalked out by Government to exploit this potential?

THE MINISTER OF POWER (SHRI R. KUMARAMANGALAM): (a) and (b) According to the reassessment of hydro-electrical potential carried out by Central Electricity Authority between 1978—1987, the hydro-electrical potential of Major/Medium Schemes of the North East Region is assessed at 31,857 MW at 60% load factor. The statewise summary

of the hydro electrical potential of North-East Region is given below:

S. No.	State (60% Load Factor)	Potential (MW)
1.	Meghalaya	1070
2.	Tripura	9
3.	Manipur	1176
4.	Assam	351
5.	Nagaland	1040
6.	Arunachal Pradesh	26756
7.	Mizoram	1455
	TOTAL:	31857

(c) To harness the hydroelectric potential several steps have been taken/ proposed to be taken. These include formulation of an action plan for accelerating hydro development in the North Eastern Region. Five schemes with aggregate installed capacity of 679 MW in Central Sector and 10 schemes with an aggregate installed capacity of 399 MW in the State Sector are under implementation in North Eastern Region. The details are given in the statement (*see* below). The hydel projects with an aggregate installed capacity of 1116 MW proposed to be taken in the 9th Plan for the benefits in the 10th Plan are indicated below:

Name of Project	Location	Agency	Capacity (MW)
1. Lower Kopili	Assam	NEEPCO	150
2. Loktak Down Stream	Manipur	NHHC	90
3. Tuirial	Mizoram	NEEPCO	60
4. Tuivai	Mizoram	NEEPCO	210
5. Kameng	Arunachal Pradesh	NEEPCO	600
6. Dalaima	Assam	ASEB	6
	TOTAL:		1116

Statement

Details of hydro-electric schemes under implementation in North Eastern Region are as under:—

CENTRAL SECTOR

Project	Location	Capacity (MW)
1. Kathalguri (7,8 & 9)	Assam	90*
2. Doyang	Nagaland	75
3. Agartala	Tripura	84**
4. Ranganadi	Arunachal Pradesh	405
5. Kopili-II	Assam	25
	SUB TOTAL	679

*Units 7 & 8 synchronised in March, 1998. Unit 9 is expected to be synchronised in May, 1998.

**All the 4 units of 21 MW each have been synchronised and expected to operate commercially during 1998-99.

STATE SECTOR

Project	Location	Capacity (MW)
1. Nuranang	Arunachal Pradesh	6.0
2. Dhansiri HEP	Assam	20.0
3. Lower Borpani	Assam	100.0
4. Lakwa	Assam	48.0
5. Namrup	Assam	120.0*
6. Umiam-Umtru IV	Meghalaya	18.0
7. Serlui-B	Mizoram	9.0
8. Likim-Ro	Nagaland	24.0
9. Rokhia PH-II	Tripura	8.0
10. Leimakhong	Manipur	36.0
	SUB TOTAL	399.0
	GRAND TOTAL	1078.0

*Subject to availability of gas.

विद्युत के पारेषण तथा वितरण में होने वाली हानि

3933. **श्री नागमणि:**
चौधरी हरमोहन सिंह यादव:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युत के पारेषण तथा वितरण में होने वाली हानि को कम करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया था;

(ख) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के आरंभ तथा अंत में कुल विद्युत उत्पादन के प्रतिशत के संदर्भ में कितनी विद्युत पारेषण तथा वितरण हानि होने का अनुमान है;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार ने इस प्रकार की हानि को कम करने के लिए कोई वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया था;

(घ) यदि हां, तो क्या इस प्रकार की हानि में और कमी लाई गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री आर० कुमारमंगलम) : (क) से (ग) जनवरी, 1993 में विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान यह निर्णय लिया गया था कि पारेषण एवं वितरण हानियां प्रतिवर्ष 1% कम की जाएगी ताकि 8वीं योजना के दौरान 5% हानियों को कम किया जा सके। वर्ष 1991-92 और 1995-96 के दौरान हानियां क्रमशः 22.83% और 22.27% थी।

(घ) और (ङ) देश में पारेषण एवं वितरण हानियां आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम 3 वर्षों के दौरान कुल मिलाकर 1.70% कम हुई है और उसके बाद चौथे वर्ष अर्थात् 1995-96 में 1.14% बढ़ी है। 8वीं योजना के दौरान पारेषण एवं वितरण हानियों और इनमें कमी का प्रतिशत नीचे दिया गया है:—

वर्ष	% पारेषण एवं वितरण हानियां	% पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी
1991-92	22.83	—
1992-93	21.80	1.03(+)
1993-94	21.41	0.39(+)
1994-95	21.13	0.28(+)
1995-96	22.27	1.14(-)

निजी क्षेत्र के विद्युत एककों को हुई हानि

3934. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने के कृपा करेंगे कि:

(क) निजी क्षेत्र के विद्युत एककों को मार्च, 1997 के अंत तक कुल कितनी हानि हुई;